न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 163/2022

गोरधन लाल पुत्र नानगराम जाति जाट नि0 भेटवाली की दाणी कालख तह0 जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण, राज0

बनाम वादी

1. नाथूलाल पुत्र हरदेव जाति ब्राह्मण निवासी कालख तह0 जोबनेर
2. तहसीलदार जोबनेर (जयपुर ग्रामीण) राज0।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री हनुमान जाखड विद्वान अधिवक्ता वादीगण

दिनांक :– 20/09/2023

निर्णय

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 50 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाकै ग्राम कालख तह0 जोबनेर में स्थित है। जिस पर वादी अपने बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त आराजी में पर्चा सैटिलमेंट के पूर्व से ही वादी के पूर्वजो का कब्जा काश्ता था परन्तु वरवक्त पर्चा सैटिलमेंट में नाथूलाल पुत्र हरदेव का नाम खातेदारी में सहवन से कतई दर्ज हो गया है जबकि ग्राम कालख में उक्त आराजी पर इस नाम का कोई व्यक्ति कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। ग्राम कालख में इस नाम का कोई व्यक्ति नही था। आज भी नही है। प्रतिवादी संख्या 1 इस व्यक्ति के नाम का पर्चा सैटिलमेंट से लेकर आज तक नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चला आ रहा है जबकि उक्त आराजी पर कब्जा काश्त वर्तमान में वादी का ही चला आ रहा है। इससे पूर्व वादी के पूर्वजो का कब्जा काश्त रहा है। खसरा गिरदावरियो में भी वादी के पूर्वजो का नाम दर्ज है क्योंकि उनका उक्त आराजी पर आजादी के पहले से ही कब्जा काश्त चला आ रहा था इसलिए उनके नाम गिरदावरियो में आया है वरवक्त पर्चा सैटलमेंट के समय भी वादी के पूर्वजो का कब्जा काश्त था परन्तु राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

कर्मचारियो की गलती से सहवन से वादी के पूर्वजो का नाम दर्ज नहीं होकर गलत रूप से प्रतिवादी सं01 नाम दर्ज हो गया। जो कि इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम कालख मे नहीं है और ना ही इस नाम के व्यक्ति का कोई कब्जा काश्त रहा है तथा आज भी इस नाम के व्यक्ति का कोई कब्जा काश्त नहीं है। खसरा गिरदावरी सं0 2011 से 2014 में खसरा नंबर 50 की चतुर्वर्षीय खसरा गिरदावरी में वादी के दादा भीवडा पुत्र छीतू का नाम दर्ज है तथा संवत 2031–2034 की चतुर्वर्षीय खसरा गिरदावरी में भी वादी के दादा के भाई जीवण का नाम गिरदावरी में दर्ज है। वादी के दादा के भाई जीवण अविवाहित फौत हो गया था संवत 2011–2014 पर्चा सैटिलमेंट के समय भी वादी के पूर्वजो का नाम है जो संवत 2031–2034 तक की चतुर्वर्षीय खसरा गिरदावरी में दर्ज हुआ परन्तु गलती से नाथूलाल पुत्र हरदेव का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। कानूनन हजफ होना चाहिए।

वादीगण के पिता दादा सभी अनपढ थे वादी भी मात्र साक्षर है। जिसने पूर्व कभी अपनी उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल नहीं ली थी और उक्त आराजीयात पर खेतीबाडी बेरोक टोक के करता आया है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नही रही है। परन्तु जब वादी ने वर्तमान में अपनी भूमि को उन्नत व विकसित करने के लिए पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल ली तो पटवारी हल्का ने वादी का नाम उक्त आराजीयात में दर्ज नहीं होना बताया और प्रतिवादी सं0 1 जो कि कभी उक्त आराजीयात पर काश्त नहीं की है और ना ही ग्राम कालख का रहने वाला है। वादी को यह जानकारी दिनांक 01.11.2017 को हुई। इसलिए मुझे यह वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। अतः दावा वादी का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 50 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम कालख तह0 जोबनेर पर वादी को खातेदार घोषित किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/अखबार स्याह तलब किया गया। प्रतिवादीया संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। जिनके विरूद्ध दिनांक 28.08.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 18/03/2019 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 50 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम कालख तह0 जोबनेर में स्थित है। तथा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है अथवा नहीं यह वादी स्वयं सिद्ध करे।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

दावा एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:-

तनकी संख्या 1 :– आया विवादित आराजी पर वादी के बुजुर्गों के समय से कब्जा काश्त है।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :– आया प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विवादित आराजी में गलत दर्ज हो गया है। इस नाम का व्यक्ति कालख में नहीं था।

.....वादी

तनकी संख्या 3 :– आया परचा सैटलमेन्ट के समय पर भी वादी के पूर्वजो का कब्जा काश्त था। खसरा गिरदावरीयो में नाम दर्ज था।

.....वादी

तनकी संख्या 4 :– आया वादी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है।

.....वादी

5– दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादीगण में पी0डब्लू0 1 गोरधनलाल, पी0डब्लू0 2 मंगलाराम, पी0डब्लू0 3 रामचन्द्र तथा पी0डब्लू0 4 मोहनलाल के शपथ पत्र पेश किये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074, खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2014 तथा 2031–2034 पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमनें बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया विवादित आराजी पर वादी के बुजुर्गों के समय से कब्जा काश्त है।

तनकी संख्या 2 :– आया प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विवादित आराजी में गलत दर्ज हो गया है। इस नाम का व्यक्ति कालख में नहीं था।

तनकी संख्या 3 :– आया परचा सैटलमेन्ट के समय पर भी वादी के पूर्वजो का कब्जा काश्त था। खसरा गिरदावरीयो में नाम दर्ज था।

तनकी संख्या 4 :– आया वादी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उक्त चारों तनकीया समान प्रकृति की है। इसलिए इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन तनकीयों को सिद्ध करने का भार वादी पर था। विवादित आराजी खसरा नम्बर 50 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाकै ग्राम कालख तहसील जोबनेर में स्थित है। मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 यह भूमि नाथूलाल पुत्र हरदेव के नाम दर्ज है। वादी के द्वारा कोई भी जमाबंदी ऐसी प्रस्तुत नहीं की गयी है। जिसमें यह भूमि वादी अथवा वादी के बुजुर्गों के नाम रही हो। वादी के द्वारा खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2014 तथा 2031–2034 पेश किये गये है। जिसमें भी कृषक के रूप में नाथूलाल पुत्र हरदेव दर्ज है। तथा काश्त करने वाले के रूप में भी भींवडा पुत्र छोटू दर्ज है। वादी द्वारा सजरा खानदान को प्रमाणित करने वाला भी कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। वादी द्वारा कब्जे के संबंध में भी कोई रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादी द्वारा नाथूलाल पुत्र हरदेव के ग्राम कालख मे ना रहने के संबंध में भी कोई रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में वादी तनकीयों को सिद्ध करने में असफल रहा है।

तनकी संख्या 1,2,4 पूर्ण रूप से एवं तनकी संख्या 3 आंशिक रूप से वादी के विरूद्ध निर्णित हो गई है। ऐसी स्थिति में दावा वादी काबिले खारिज है। वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असफल रहा है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/09/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)